1. मोहम्मद इरफान उर्फ बाबू पुत्र मोहम्मद इब्राहिम, उम्र 32 साल, निवासी नाई धोबियों का मोहल्ला, नागौर पुलिस थाना कोतवाली, जिला नागौर (राजस्थान)

..... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए अपर लोक अभियोजक, नागौर

..... अप्रार्थी

उपस्थितः-

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से - श्री कुलदीप सिंह चारण व श्री महेन्द्र मेघवाल, अधिवक्तागण
2. राजस्थान राज्य की ओर से - श्री अनिल गौड़, अपर लोक अभियोजक

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

(A) Case Details :-

FIR Number & Date	164/05.05.2026
Police Station, District and State	कोतवाली, जिला नागौर, राजस्थान
Section invoked	13 RPGO एवं 112(2), 61(2) BNS 2023
Maximum punishment prescribed	दो वर्ष का कारावास

(B) Custody & Procedural Compliance:-

Date of Arrest	31.05.2026
Total period of custody undergone	05 Days

(C) Status of trial:-

Stage of Proceedings (Investigation/Charge sheet/Cognizance/Framing of charges/Trial)	Investigation
Total number of witnesses cited in the charge sheet	Nill
Number of prosecution witnesses examined	Nill

(D) Criminal Antecedents:-

क्र.सं.	मुकदमा नंबर	धारा	पुलिस थाना	विवरण
1.	135/2014	13 RPGO	कोतवाली	दिनांक 26.08.2014 100/- रुपए जुर्माना
2.	288/2014	13 RPGO	सदर	दिनांक 30.09.2014 100/- रुपए जुर्माना
3.	245/2014	13 RPGO	कोतवाली	दिनांक 13.08.2014 100/- रुपए जुर्माना
4.	239/20147	13 RPGO	कोतवाली	दिनांक 14.07.2015 100/- रुपए जुर्माना

क्र.सं.	मुकदमा नंबर	धारा	पुलिस थाना	विवरण
5.	302/2015	13 RPGO	कोतवाली	दिनांक 14.07.2015 100/- रुपए जुर्माना
6.	367/2015	13 RPGO	कोतवाली	दिनांक 04.11.2015 100/- रुपए जुर्माना
7.	378/2015	13 RPGO	कोतवाली	दिनांक 21.08.2015 100/- रुपए जुर्माना
8.	598/2015	13 RPGO	कोतवाली	दिनांक 28.01.2016 100/- रुपए जुर्माना
9.	222/2016	13 RPGO	कोतवाली	दिनांक 22.07.2016 100/- रुपए जुर्माना
10.	239/2016	13 RPGO	कोतवाली	दिनांक 22.07.2016 100/- रुपए जुर्माना
11.	478/2015	13 RPGO	कोतवाली	दिनांक 09.01.2016 100/- रुपए जुर्माना
12.	445/2016	13 RPGO	कोतवाली	दिनांक 13.02.2017 100/- रुपए जुर्माना
13.	396/2021	13 RPGO	कोतवाली	दिनांक 09.02.2022 100/- रुपए जुर्माना
14.	541/2022	13 RPGO	कोतवाली	दिनांक 07.10.2022 100/- रुपए जुर्माना
15.	80/2023	13 RPGO	कोतवाली	दिनांक 26.05.2023 100/- रुपए जुर्माना
16.	264/2023	13 RPGO	कोतवाली	दिनांक 18.07.2023 100/- रुपए जुर्माना
17.	345/2023	13 RPGO	कोतवाली	दिनांक 21.08.2023 100/- रुपए जुर्माना
18.	395/2024	13 RPGO	कोतवाली	दिनांक 30.09.2024 100/- रुपए जुर्माना
19.	458/2024	13 RPGO	कोतवाली	दिनांक 06.11.2024 100/- रुपए जुर्माना

(E) Previous Bail Applications :-

Court	Nill
Case No.	Nill
Outcome of Case	Nill

(F)

- Whether any Non-Bailable Warrant was issued :- Nill
- Whether declared a proclaimed offender :- Nill

आदेश

दिनांक 04.06.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त मोहम्मद इरफान की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 164/2026, पुलिस थाना कोतवाली, जिला नागौर में प्रस्तुत किया गया, जो दर्ज रजिस्टर किया गया। नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। उभय पक्षों की बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई।

2. केस डायरी के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 05.05.2026 को परिवादी वेदपाल शिवरान, पुलिस निरीक्षक, कोतवाली, नागौर ने पुलिस थाना कोतवाली में उपस्थित होकर फर्द जब्ती इस आशय की पेश की कि दिनांक 05.05.2026 को वक्त 7:17 PM पर दौराने गश्त प्राप्त मुखबिर इत्तला के आधार पर वाके मौजा दुकान गफार साइकिल डीलर के सामने खाईगली, मुख्य सड़क पर टेबल पर अभियुक्तगण दिलीप, विनोद कुमार व मोहम्मद सद्दाम जुआ सट्टा के लकड़ी के गते पर अंक लिखते हुए एवं अभियुक्तगण मोहम्मद अली, भीकाराम, हुसैन, उमर फारूक, अलाउदीन, सुनील, अबरार, मोहम्मद अरबी, अखलाख, शौकत व हरीकिशन जुआ सट्टा का अंक लिखवाते हुए दिखाई दिये। अंक लिखने वाले शख्सान से जुआ सट्टा राशि 30,810/- रुपये, तीन बॉल पेन, लकड़ी के गत्ते व केलकुलेटर बरामद हुए। दौराने पूछताछ अभियुक्तगण दिलीप, विनोद कुमार व मोहम्मद सद्दाम ने जुआ सट्टा की खाईवाली का काम करना बताया व अन्य अभियुक्तगण ने उक्त तीनों शख्सान से लगाईवाली करना बताया। जिस पर बाद कार्यवाही जुआ सट्टा राशि, बॉल पेन, लकड़ी के गत्ते व केलकुलेटर बतौर वजह सबूत सीलमोहर किये गये व अभियुक्तगण का उक्त कृत्य जुर्म धारा 13 RPGO व 112(2), 61(2) BNS 2023 की तारीफ में आना पाये जाने पर अभियुक्तगण को जरिये फर्द गिरफ्तारी गिरफ्तार किया गया।.....इत्यादि।

3. उक्त फर्द जब्ती के आधार पर पुलिस थाना कोतवाली ने मुकदमा संख्या 164/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 13 RPGO व 112(2), 61(2) BNS 2023 में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया। दौराने अनुसंधान अन्य अभियुक्तगण के साथ प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 13 RPGO व 112(2), 61(2) BNS 2023 के अपराध का आरोप प्रमाणित पाये जाने पर प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। जिस पर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर के समक्ष एक जमानत प्रार्थना पत्र धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत प्रस्तुत किया, जो दिनांक 01.06.2026 को अस्वीकार कर खारिज किए जाने पर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने जमानत प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, झूठा फंसाया गया है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। प्रार्थी/अभियुक्त पर गवाहान पैरवी को बहकाने का आरोप नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त पर ऐसा कोई आरोप नहीं है, जिसकी सजा आजीवन कारावास अथवा मृत्यु दण्ड से दण्डनीय हो। प्रार्थी/अभियुक्त से किसी प्रकार की बरामदगी शेष नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के फरार होने का अंदेशा नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय के आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने के लिए तैयार है। अन्त में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आदेश पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए बहस में निवेदन किया कि पुलिस द्वारा अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 13 RPGO व 112(2), 61(2) BNS 2023 के अपराध का आरोप प्रमाणित माना गया है। प्रार्थी/अभियुक्त पर

संगठित गिरोह बनाकर जुआ सट्टा करने एवं एक को लाभ व दूसरे को हानि पहुंचाए जाने का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। अंत में प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. उभय पक्षों के तर्कों पर गौर किया गया एवं संपूर्ण केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

7. प्रकरण वर्तमान में अनुसंधानाधीन है, ऐसे में प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी व्यक्त किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से दर्शित है कि पुलिस द्वारा अब तक के अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 13 RPGO व 112(2), 61(2) BNS, 2023 के अपराध का आरोप प्रमाणित माना गया है। प्रकरण के सहअभियुक्त विनोद की नियमित जमानत पूर्व में इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है एवं प्रार्थी/अभियुक्त का मामला उससे भिन्न या गुरुतर प्रकृति का हो, ऐसा दृष्टिगत नहीं होता है।

8. इसके अतिरिक्त प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त से किसी प्रकार की कोई बरामदगी व अनुसंधान शेष नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 31.05.2026 गिरफ्तार होकर न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है।

9. ऐसे में प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी व्यक्त किये बगैर न्यायिक दृष्टान्त एस.बी. क्रिमीनल मिसलेनियस बेल एप्लीकेशन नंबर 861/2021 खेतसिंह वगैरह बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 25.01.2021 में प्रतिपादित सिद्धान्त की रोशनी में प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

10. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त मोहम्मद इरफान उर्फ बाबू पुत्र मोहम्मद इब्राहिम, उम्र 32 साल, निवासी नाई धोबियों का मोहल्ला, नागौर पुलिस थाना कोतवाली, जिला नागौर (राजस्थान) की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 एतद्द्वारा स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त विचारण न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति बाबत् 2,00,000/- रुपये की राशि का स्वयं का बंध पत्र एवं 1,00,000-1,00,000/- रुपये की राशि की दो सुदृढ़ जमानतें नियत पेशी पर एवं जब भी न्यायालय अपेक्षा करे, उपस्थिति बाबत, विचारण न्यायालय की संतुष्टि की प्रस्तुत कर तस्दीक करवा देवें तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावें।

11. इस आदेश की निःशुल्क प्रति प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को उपलब्ध करवाने हेतु जरिए ई-मेल प्रभारी अधिकारी, जिला कारागृह, नागौर को अविलम्ब प्रेषित की जावें। केस डायरी लौटाई जावें।

(विक्रम साँखला)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 1, नागौर

12. आदेश आज दिनांक 04.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विक्रम साँखला)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 1, नागौर